



सं.10(40)/2013-एलआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
(एलआर अनुभाग)


उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 17 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ऑटोमोटिव व्हीकल्स के लिए न्यूमैटिक टायर एवं ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण)
आदेश, 2009- रन फ्लैट टायरों पर स्पष्टीकरण।

इस विभाग के दिनांक 13.12.2011 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में अद्योहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 12.5.2014 को हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर रन फ्लैट टायरों में संशोधन को क्रम संख्या (iii) में सम्मिलित किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

के लिए	पढ़े
(iii) रन फ्लैट टायर-आरएफ अथवा समान चिह्न वाले और प्रतीक वाले टायर 	(iii) रन फ्लैट/आरएफ और अथवा प्रतीक वाले 

2. आगे स्पष्ट किया जाता कि रन फ्लैट/आरएफ और अथवा  प्रतीक वाले टायर "ऑटोमोटिव व्हीकल्स के लिए न्यूमैटिक टायर और ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009" के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

एस.एन.मिश्रा
(एस.एन.मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061306